राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ. 3(ख) अलेसे–II / डीपीसी 560 **दिनांकः–** 25/09/202

श्री अजीत कुमार जैन, सलेअ–II
कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः– कारण बताओ नोटिस।

इस विभाग की पूर्व विज्ञप्ति क्रमांक 80 दिनांक 04.06.2020, 326 दिनांक 06.08.2020, 356 दिनांक 19.08.2020 एवं 523 दिनांक 16.09.2020 के द्वारा आपको सूचित किया गया था कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में संभावित रिक्तियों के विरूद्ध आपकी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के पद पर पदौन्नति का प्रकरण विचाराधीन होने के कारण संतान संबंधी घोषणा चाही थी परन्तु आप द्वारा संतान संबंधी घोषणा अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करने के लिये आपको विज्ञप्ति / फोन के माध्यम से अवगत कराया गया था।

आप द्वारा अब तक भी संतान संबंधी सूचना प्रस्तुत नहीं करने का क्या कारण है, स्पष्टीकरण 07 दिवस में प्रस्तुत करें तथा वांछित सूचना अविलम्ब व आवश्यक रूप से विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरूद्ध विभागीय निर्देशों की अवहेलना के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ. 3(ख) अलेसे- II / डीपीसी 561 – 562 **दिनांकः–** 25/09/2020

प्रतिलिपिः–

1. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष।

(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–II)